30 दीवानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं 2007 से । उच्च न्यायालयों में तो 1982-1983 की फौजदारी अपीलें लंबित हैं। जिला अदालतों में भी वर्षों से तमाम मामलों अटके हुए हैं।

अनुच्छेद 370 पर दोषपूर्ण याचिकाएं देख भड़का सुप्रीम कोर्ट

- सीजेआइ बोले-याचिका आधे घंटे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया
- मामले की छह याचिकाओं के दोष सुधारने को कहा, वकीलों को लताड़

नई दिल्ली, प्रेट्र : संविधान के अनुच्छेद 370 पर दोषपूर्ण याचिकाएं दायर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई है। खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शुक्रवार को अधिवक्ता एमएल शर्मा की याचिका को निरर्थक बताया। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने याचिका पढ़ने में तीस मिनट लगा दिए लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि याचिकाकर्ता का आवेदन क्या है।

खंडपीठ में शामिल जस्टिस एसए बोबडे और एसए नजीर ने पूछा कि यह किस तरह की याचिका है? इसे तो रद कर दिया गया होता, लेकिन रजिस्ट्री में इस मुद्दे पर पांच अन्य याचिकाएं भी हैं जोकि दोषपूर्ण हैं। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शर्मा से पूछा कि आप राष्ट्रपति के आदेश को दरकिनार करने का आवेदन नहीं कर रहे हैं। आपकी अपील क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। इस याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज किया जा सकता है। इतने गंभीर मुद्दे पर

आप ऐसी याचिका कैसे लगा सकते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के अगले दिन छह अगस्त को याचिकाकर्ता शर्मा ने यह याचिका दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने वकीलों से अनुच्छेद 370 पर सभी छह याचिकाओं को दुरुस्त करने को कहा और सुनवाई स्थगित कर दी। खंडपीठ ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 की याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों के समूह में फेरबदल करना पड़ा है क्योंकि संवेदनशील अयोध्या मामले की भी सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट मीडिया प्रतिबंधों पर देगा और वक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश पारित करने में अभी कुछ वक्त लगेगा। चूंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य में लगाए गए ऐहतियाती प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने खंडपीठ को बताया कि जम्मू-कश्मीर के हालात में सुधार हो रहा है और धीरे-धीरे प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है।

इस बीच, सुनवाई के दौरान वकील शकील सबीर ने बताया कि वह जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के खिलाफ याचिका दायर की है। सबीर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने याचिका के दोष सुधार लिए हैं इसके बावजूद उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने सुधार बुधवार की शाम को किया और गुरुवार को अवकाश था। तब आपने ये उम्मीद कैसे लगा ली कि आज आपकी याचिका सूचीबद्ध हो जाएगी। आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक त्रुटिपूर्ण याचिका क्यों दायर की? सीजेआइ ने कहा कि त्रुटिपूर्ण याचिका दायर करके आप हमारे अफसरों को परेशान करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कांफ्रेंस की ओर से भी दो याचिकाएं दायर की गई हैं।

जस्टिस कुरैशी की प्रोन्नति पर एक सप्ताह में फैसला करेगा केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जस्टिस अकील कुरैशी की प्रोन्नति के मामले में हफ्ते भीतर फैसला ले लिया जाएगा। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और एस. अब्दुल नजीर की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'सरकार संबंध में हफ्ते भीतर कुछ न कुछ निर्णय ले लेगी। केंद्र कोलेजियम की फाइल का अवलोकन कर रहा है, इसलिए मामले में एक हफ्ते बाद विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दो अगस्त को केंद्र से कहा था कि जस्टिस कुरैशी की प्रोन्नति के मामले में 14 अगस्त तक निर्णय ले लिया जाए। शीर्ष अदालत गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की तरफ से जस्टिस कुरैशी की प्रोन्नति को लेकर दाखिल एक याचिका पर विचार कर रही है।

कांग्रेस का एलान, परमाणु नीति पर सरकार के साथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अभिषेक मनु सिंघवी

- रक्षा मंत्री के बयान को बताया अस्पष्ट, कहा- ऐसे मसले पर स्पष्टता जरूरी

कांग्रेस ने कहा है कि देश की परमाणु और सुरक्षा रणनीति पर पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है। मगर सरकार को अपनी परमाणु नीति की घोषणा स्पष्ट रूप से करनी चाहिए और इसमें संशय या दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करने (नो फस्ट यूज) की भारत की नीति के विकल्प पर पुनर्विचार के संकेतों पर कांग्रेस ने यह बात कही।

रक्षा मंत्री के बयानों के बारे में पूछे जाने पर पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु हथियारों नीति के सवाल पर कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा देश इस मामले में सरकार के साथ खड़ा होगा। मगर रक्षा मंत्री का परमाणु नीति को लेकर दिया गया बयान अस्पष्ट है या फिर इस बात का संकेत दे रहा कि सरकार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति पर पुनर्विचार के विकल्प पर गौर कर रही है। सिंघवी ने कहा कि परमाणु नीति का मसला बेहद संवेदनशील और गंभीर है इसीलिए रक्षा मंत्री को देश को इस बारे में स्पष्टता से बताना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मसले पर रक्षा मंत्री को शब्दों की बाजीगरी के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए।

भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक वार्ता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कारोबार के मुद्दे पर भले ही भारत और अमेरिका के बीच अभी तनातनी चल रही हो लेकिन रणनीतिक मुद्दों पर साझेदारी संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तब रणनीतिक साझेदारी ही एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगी। इस दौरे की तैयारियों के संदर्भ में नई दिल्ली पहुंचे अमेरिका के उप विदेश मंत्री जॉन सुलिवन के साथ आये दल की विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अहम बातचीत हुई है। इस मुलाकात और इसमें होने वाली बातचीत के बारे में विस्तार से दोनों देशों की तरफ से कोई खास जानकारी नहीं दी गई है लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी है, 'रणनीतिक रिश्ते को और गहरा बनाने पर बातचीत हुई है।'

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी की दिशा तय करने के लिए टू पल्स टू वार्ता का एजेंडा तैयार हुआ है। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा होते हैं। तय हुआ था कि इसकी बैठक हर वर्ष होगी लेकिन पिछले तीन वर्षों में इसकी सिर्फ एक बैठक हुई है। दूसरी बैठक इस साल अमेरिका में होने पर सहमति बनी है। सुलिवन के साथ जयशंकर की मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थिति और कश्मीर का मुद्दा भी इस बातचीत में उठा है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अमेरिका ने अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो भारत को नागवार गुजरी हो।

प्रधानमंत्री को मिला चिदंबरम का साथ

बोले ▶ छोटे परिवार, प्लास्टिक के त्याग और अर्थव्यवस्था को गति देने वालों के सम्मान का आह्वान स्वागतयोग्य

वित्त मंत्रालय पर कटाक्ष, उम्मीद है पीएम की बात स्पष्टता से सुनेंगी वित्तमंत्री और टैक्स अफसर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लालकिले से की गई तीन बड़ी सामाजिक घोषणाओं की प्रशंसा और समर्थन कर पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने सियासी जगत को हैरान कर दिया। पीएम मोदी के तीव्र आलोचकों में गिने जाने वाले चिदंबरम ने कहा कि छोटे परिवार को देशभक्ति का कर्तव्य बताने, देश में संपदा का निर्माण करने वाले कारोबारियों का सम्मान करने और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का त्याग करने की प्रधानमंत्री की घोषणा का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। पीएम की घोषणाओं का समर्थन करने के चिदंबरम के रुख पर कांग्रेस ने कहा कि सामाजिक विकास से जुड़े मसले को राजनीति के तराजू में नहीं तौला जा सकता। इसीलिए पूर्व वित्तमंत्री के नजरिये को राजनीति की कसौटी पर नहीं देखा जाना चाहिए।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले से की गई इन तीनों घोषणाओं का स्वागत हम सभी लोगों को करना चाहिए। चिदंबरम ने जनसंख्या विस्फोट

पी. चिदंबरम फाइल फोटो

को रोकने के लिए छोटे परिवार को देशभक्ति का एक स्वरूप बताने के पीएम के नजरिये से सहमति जताई। उन्होंने प्लास्टिक का चलन बंद करने की राय का समर्थन किया।

चिदंबरम ने कहा कि इन दोनों विषयों को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में सैकड़ों ऐसे प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठन हैं जो इस तरह के आंदोलन की अगुआई स्थानीय स्तर पर करने के लिए तैयार हैं। जबकि देश में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कारोबारियों के योगदान का सम्मान करने की पीएम की घोषणा का समर्थन करते हुए चिदंबरम ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज भी कसा। चिदंबरम ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि वित्तमंत्री और उनके टैक्स और जांच अधिकारियों की फौज ने प्रधानमंत्री की सलाह पूरी स्पष्टता से सुन ली होगी।' टैक्स अधिकारियों की उद्योग जगत पर लगातार जारी सख्ती पर चिदंबरम ने पहले भी सवाल उठाते हुए वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री के रुख को कारोबार के लिए घातक ठहराया था। ऐसे में जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर पीएम की घोषणा ने उन्हें अपनी बात को सही ठहराने का मौका दे दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लालकिले की प्राचीर से की गई घोषणाओं पर चिदंबरम के सकारात्मक रुख पर जताई जा रही हैरानी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस ने कहा कि इसमें अनुचित कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएम ने विकास और सामाजिक हित के जिन मुद्दों की चर्चा की है। उसमें कुछ गलत नहीं तो फिर बेवजह इसे अनुचित क्यों ठहराया जाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये मुद्दे शामिल रहे हैं और इसलिए इन पर चिदंबरम के सकारात्मक नजरिये को हैरानी या सियासत की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।

पीएम के बयान का उद्योगपतियों ने भी किया स्वागत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संपदा का सृजन करने वालों के सम्मान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा को लेकर उद्योग जगत उत्साहित है। उद्योग प्रतिनिधियों व उद्योग संगठनों ने उनके बयान का स्वागत किया है।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस बयान के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आपने इस बयान के जरिए सभी को स्पष्ट रूप से याद दिला दिया है कि कानून सम्मत कार्य करने वाले व्यापारी पांच ट्रिलियन इकोनॉमी के स्वप्न के केंद्र में हैं। यही नहीं आनंद महिंद्रा ने पीएम मोदी को इस भरोसे के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कभी यह भरोसा खत्म न हो।' बायोकॉन की प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने भी पीएम के भाषण के बाद अपने ट्वीट में इसका जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण से यह साफ कर दिया है कि संपत्ति सृजित करने वालों को संदेह से देखना ठीक नहीं है।

उद्योग संगठन फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चेनॉय ने पीएम की घोषणा को उनके संबोधन के सात अहम बिंदुओं में शामिल किया। चेनॉय ने ट्वीट किया, पीएम के भाषण में सात महत्वपूर्ण संदेश निहित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जल, निवेश, पर्यावरण, वेल्थ क्रियेटर, प्लास्टिक और निर्यात शामिल है।

देश का मजबूत होना ही नहीं दिखना भी जरूरी : राजनाथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- रक्षा मंत्री के बयान में निहित है यह राजनीतिक संदेश

परमाणु हथियारों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नए बयान को जहां पाकिस्तान के लिए संकेत माना जा रहा है, वहीं राजनीतिक तौर पर भी इसका संदेश है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भाजपा सरकार के काल में देश मजबूत रहेगा ही नहीं, दिखेगा भी। जिस मजबूती से सर्जिकल स्ट्राइक की गईं, जिस संकल्प के साथ अनुच्छेद 370 को हटाया गया उसी दृढ़ता से देश की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए जरूरत हुई तो परंपरा से हटकर फैसले लिए जाएंगे। ध्यान रहे कि 2014 के घोषणापत्र में भाजपा ने यह वादा भी किया था कि परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर नीति का अध्ययन किया जाएगा और फिर उसमें बदलाव किया जाएगा। हालांकि 2019 के घोषणापत्र में इसका जिक्र हटा लिया गया था।

पाकिस्तान की ओर से रोजाना परोक्ष तौर पर धमकी दी जा रही है। भारत के साथ हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है उसमें इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि कुछ देश कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह की ओर से यह संकेत कि परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करने के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है, जहां पाकिस्तान के सामने सीमा रेखा खींचता है, वहीं देश के लोगों को भरोसा भी दिलाता है।

ध्यान रहे कि भाजपा सरकार का यही जुझारूपन देश की जनता को भाता है। गली-मुहल्ले से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही सच्चाई है कि मजबूत के साथ ही हर कोई खड़ा दिखता है। भाजपा सरकार ने फिर से इसी ताकत का अहसास कराया है।

सिर्फ भारत और चीन करते हैं नो फर्स्ट यूज नीति का पालन

नो फर्स्ट यूज (एनएफयू): परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर उनकी खुद की नीति है, जिसमें वे तय करते हैं कि कब और कैसे इस ताकत का वे इस्तेमाल करेंगे।

चीन : 1964 में अपने पहले परमाणु परीक्षण के बाद चीन ने एनएफयू नीति घोषित की। आज, यह एकमात्र परमाणु हथियार वाला राज्य है जिसने बिना किसी शर्त के एनएफयू नीति घोषित की है।

भारत : भारत ने भी एनएफयू नीति घोषित की है, लेकिन शर्तों के साथ। भारत ने संकल्प लिया है कि वह युद्ध के दौरान पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक कि उसपर जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला नहीं किया जाता।

केवल रक्षात्मक रूप से परमाणु हथियार का उपयोग करने का वचन देने वाले देश

अमेरिका : परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के माध्यम से अमेरिका ने उन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया है, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं और जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका अपनी और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर पहले परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। वहीं नाटो देश नो फर्स्ट यूज नीति का विरोध करते हैं।

रूस: 1982 में सोवियत नेता लियोनिद ब्रेझनेव ने एक संघर्ष में नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाने का संकल्प लिया था। शीत युद्ध के दौरान, नाटो नेताओं ने इस प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं किया, और 1993 में रूस ने इसे खत्म कर दिया। लेकिन उस वर्ष जारी एक सैन्य सिद्धांत में रूस ने कहा कि वह एक गैर-परमाणु देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, जब तक कि किसी और परमाणु देश के साथ संबद्ध नहीं होता। आज, रूस की परमाणु नीति में कहा गया है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग उन हमलों के खिलाफ करेगा जो देश के अस्तित्व को खतरा पैदा करते हैं। नीति में परमाणु हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने या सामूहिक विनाश के अन्य प्रकार के हथियारों के उपयोग की भी अनुमति है।

ब्रिटेन: अपेक्षाकृत अस्पष्ट नीति है। हालांकि अतीत में परमाणु अप्रसार संधि का पालन करने वाले गैर-परमाणु देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया है।

फ्रांस : किसी भी परिस्थिति में पहले परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है।

पाकिस्तान : पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं। पड़ोसी की नीति में स्पष्ट है कि उस पर किसी भी प्रकार की आक्रामकता की स्थिति में वह ऐसा कदम उठाने को स्वतंत्र है।

उत्तर कोरिया : उत्तर कोरिया ने एनएफयू नीति नहीं अपनाई है। यह देश अक्सर अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है।

विवादित ढांचे के नीचे कई स्तंभों वाला विशाल मंदिर था

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के सातवें दिन हिंदू पक्षकारों ने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट बतौर सुबूत पेश करते हुए कहा कि विवादित ढांचे के नीचे बहुत सारे स्तंभों वाला मंदिर या मंडप था। इनके स्तंभों पर देवी-देवताओं की मूर्तियां बनी थीं। यह मंदिर 101-200 ईसा पूर्व) का है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में शुक्रवार को राम लला विराजमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस.वैद्यनाथन पेश हुए। पीठ ने जिरह को सुना और अधूरी बहस को पूरा करने के लिए सोमवार तक सुनवाई स्थगित कर दी।

वैद्यनाथन ने पीठ को बताया कि बाबरी मस्जिद वाली जगह पर पुरातत्व विभाग की खोदाई के बाद ऐतिहासिक सुबूत मिले थे। यह खोदाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश और निगरानी में हुई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि खोदाई में विभिन्न परतों में कई ढांचे मिले थे। उदाहरण के लिए भगवान के अभिषेक के बाद अतिरिक्त जल की निकासी के लिए नाली का ढांचा मिला। पुरातत्व वेत्ताओं ने रामजन्मभूमि पर शोध के लिए स्ट्रैटीग्राफी विधि का इस्तेमाल किया था। इस विधि में जमीन के नीचे की परतों का अध्ययन किया जाता है। इन परतों के बीच मिले प्राचीन सभ्यताओं के ढांचों के अवशेषों

- राम लला विराजमान के वकील ने कहा- पुरातत्व के हिसाब से यह हिंदुओं की जगह प्रमाणित
- संविधान पीठ को बताया-प्राचीन मंदिर ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी का है

से पता चला है कि जनता के लिए विशाल ढांचा बना हुआ था, जिसका इस्तेमाल लोग पूजा-पाठ के लिए करते थे। यह ढांचा निजी उपयोग में आने वाले ढांचों से अलग था। यहां पर बर्तनों के अलावा टेराकोटा की बनी टूटी हुई मूर्तियां भी थीं। उत्तर पश्चिम 'ब्लैक पॉलिश लेवल' पर अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि भी लिखी मिली। वैद्यनाथन ने बताया कि ईसा पूर्व की दूसरी सदी में विवादास्पद स्थल पर धार्मिक ढांचे होने की बात साबित हो चुकी है। विवादास्पद बाबरी ढांचे में भी ऐसी मूर्तियां और चित्र बने थे जोकि आमतौर पर मस्जिदों में नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट है कि यह स्थल हिंदुओं का धर्मस्थल था।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत 30 सितंबर, 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई कर रही है।

ईडी ने जब्त कीं तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्तियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेलंगाना के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की

संलिप्तता वाले पोंजी घोटाले में 300 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। ये संपत्तियां कंपनी की प्रमोटर नौहेरा शेख से संबंधित हैं और कई राज्यों में फैली हुई हैं। शेख को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। ईडी ने एक बयान में बताया, 'जब्त की गई संपत्तियों में 96 अचल संपत्तियां शामिल हैं जो तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इनमें 277.29 करोड़ रुपये की कृषि भूमि, वाणिज्यिक भूखंड, रिहायशी इमारतें और वाणिज्यिक भवन शामिल हैं। इसके अलावा 22.69 करोड़ रुपये बैंक खातों में जमा हैं जिन्हें जब्त किया गया है।'

ईडी का कहना है कि समूह ने अनधिकृत रूप से देशभर के करीब 1,72,000 निवेशकों से लगभग 5,600 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे। ये रकम मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव्स और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के नेटवर्क के जरिये तीन फीसद प्रति माह या 36 फीसद सालाना के रिटर्न का झूठा वादा करके एकत्रित की गई थी। शेख ने इस तरह की कई योजनाएं शुरू की थीं और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनका जमकर प्रचार भी किया था। इसके लिए उसके पास किसी भी संस्था की वैध अनुमति नहीं थी।

फर्जी वोटरों से निजात पाने के लिए आधार का सहारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की फिर रखी मांग
- निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कानून मंत्रालय को लिखा पत्र

फर्जी वोटरों की समस्या को समाप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के मामले में कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग की ओर से पत्र के जरिये जनप्रतिनिधि कानून और आधार से जुड़े कानून में संशोधन की मांग की गई है। आयोग ने लिखा है कि उन्हें यह अधिकार दिया जाए की वो आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर सके। आयोग का मानना है कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ने से फर्जी मतदाताओं की पहचान की जा सकेगी।

इस मामले में चुनाव आयोग पहले भी सरकार से आग्रह कर चुका है, लेकिन आधार मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से यह मामला टलता रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की ओर से चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर लगातार सवाल उठाए जाने के बाद खुद भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उपाध्याय ने याचिका में फर्जी मतदान रोकने और निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड पर आधारित मतदान प्रणाली लागू करने की मांग की थी।

अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से इस संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी। उपाध्याय ने अदालत में अपनी बात रखते हुए दलील दी थी कि आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ देने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि अब तक चुनाव आयोग 38 करोड़ लोगों का मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) उनके आधार नंबर से लिंक कर चुका है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने एक बार फिर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत वोटर आईडी को आधार के बारह डिजिट के नंबर से जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोगों की निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वर्ष 2015 में आयोग की इस कवायद को शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद रोक लग गई थी। उल्लेखनीय है कि देश में इस समय चुनाव सुधारों को लेकर बहस चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शुचिता के बारे में कई बार बयान दे चुके हैं।

कुटिल चाल

तीर्थयात्रियों के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए बीआरआइ की वकालत, तिब्बत के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए चाहता है भारत में भी बेहतर यात्री सुविधाओं का निर्माण

बीआरआइ पर चीन का एक और दांव

नीलू रंजन, ल्हासा से लौटकर

कैलास-मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास की आड़ में चीन, भारत में भी अपने बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआइ) को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। तिब्बत की यात्रा पर गए भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत में वहां के अधिकारियों ने इसके साफ संकेत दिए। चीन के स्वायत्तशासी प्रदेश तिब्बत के विकास और सुधार आयोग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल जियांग तैकियांग के अनुसार, तिब्बत के लोगों के भारतीय बौद्ध तीर्थस्थलों और भारतीय हिंदुओं के कैलास-मानसरोवर की यात्रा को बढ़ावा देने लिए बीआरआइ प्रभावी भूमिका निभा सकता है। चीनी अधिकारी लगातार अपनी ओर की आधारभूत संरचनाओं का बखान करते हुए भारत की ओर भी ऐसे ही आधारभूत ढांचे के विकास पर बल देते रहे।

बड़ी संख्या में भारत के तीर्थयात्रियों के कैलास-मानसरोवर की यात्रा पर पहुंचने और इसी तर्ज पर तिब्बत के बौद्ध धर्मावलंबियों के भारत स्थित

बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की यात्रा को बढ़ावा देने के बारे में पूछे जाने पर जियांग तैकियांग ने कहा कि भारत और चीन दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के कारण दोनों देशों में पर्यटन के बहुत सारे आकर्षक केंद्र हैं। उन्होंने बताया किस तरह चीन सरकार ने 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास किया है। यह भारत के लिए हमारा एक सकारात्मक संदेश है।

जियांग के अनुसार, वह इस बात को लेकर गंभीर हैं कि बीआरआइ के ढांचे के तहत तिब्बत और भारत के बीच आपसी बातचीत और आदान-प्रदान को आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों ओर आधारभूत संरचना का विकास कर सकते हैं। आधारभूत संरचनाओं के विकास से तिब्बत और भारत के बीच लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जियांग ने कहा कि दोनों देशों की पुरानी सभ्यता होने से हमारा भारत के लोगों के साथ विशेष जुड़ाव भी है। इसीलिए हम भारत के लोगों के साथ दोस्ताना आदान-प्रदान चाहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि स्वायत्तशासी तिब्बत के लोगों के साथ ही चीन के लोग भी भारत जाने के उत्सुक होंगे। लेकिन इसके लिए बेहतर आधारभूत संरचना का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी तक वह खुद भी भारत नहीं आएं हैं, लेकिन भविष्य में अवसर मिलने पर वह जरूर आना चाहेंगे।

गौरतलब है कि चीन बीआरआइ के तहत दुनिया के कई देशों में सड़क व जल यातायात के लिए आधारभूत ढांचे का विकास कर रहा है। लेकिन इसके लिए फंडिंग के तरीके को लेकर चीन की आलोचना हो रही है। बीआरआइ में शामिल कई देशों के कर्ज के जाल में फंसने के उदारहण पेश किए जाते हैं। इसीलिए भारत बीआरआइ से दूरी बनाए हुए है।

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं : रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, 'इस बात की अफवाहें फैलाई जा रही है कि ओएफबी का निजीकरण किया जा रहा है। ये अफवाहें श्रमिकों को गुमराह करने के मकसद से फैलाई जा रही हैं।' ज्ञात हो, द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑर्गनाइजेशन 41 आर्डिनेंस फैक्ट्रियों का परिवार है जो कारपोरेट मुख्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी), कोलकाता के तहत कार्य करता है।

14 अगस्त को हुई बैठक के क्रम में रक्षा उत्पादन विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ अफसरों की समिति और ओएफबी चेयरमैन ने शुक्रवार को ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लाइज फेडरेशन, नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन, प्रतिरक्षा मजदूर संघ और कंफेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों से एक बार फिर मुलाकात की और उनकी ओर से 20 अगस्त से 30 दिन की हड़ताल पर जाने के नोटिस पर चर्चा की।

कह के रहेंगे माधव जोशी